

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-13/स्था0-02-23/2026/

पटना, दिनांक -

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालन्दा, बिहारशरीफ के पत्रांक-1617 दिनांक 04.05.2026 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री निवास कुमार (जे0 10242), कनीय अभियंता (असै0), सिंचाई प्रमंडल, शेखपुरा के स्वयं के चिकित्सा में व्यतीत अवधि दिनांक 09.06.2025 से 22.06.2025 तक (कुल-14 दिन) को रूपांतरित अवकाश (14X2=28 दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य) पूर्ण वेतन पर बिहार सेवा संहिता के नियम-232, 234 के अन्तर्गत एवं दिनांक 15.09.2025 से 02.10.2025 तक (कुल-18) दिनों को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 (क) के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालन्दा, बिहारशरीफ को उनके पत्रांक-1617 दिनांक 04.05.2026 के क्रम में/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, नवादा/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, शेखपुरा/ श्री निवास कुमार (जे0 10242), कनीय अभियंता (असै0), सिंचाई प्रमंडल, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

3908

पटना/दिनांक -

09/07/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैद्यिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पता पर भेजने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

M. Q. S. 06/07/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।